


उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून स्थित विभिन्न प्रजाति के 304 वृक्षों की खुली नीलामी दिनांक 20/09/2013 को प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न की जायेगी। नीलामी हेतु सम्बन्धित विस्तृत विवरण दिनांक 20/09/2013 से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

संख्या- 2184/उ०आ०वि०/अ०दि०/2013-14  
दिनांक- 09.09.2013

  
कुलसचिव  
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय



## उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्षावाला, देहरादून

### नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्षावाला, देहरादून में स्थित विभिन्न प्रजाति के 304 वृक्षों का निपटान खुली नीलामी द्वारा दिनांक 20/09/2013 को प्रातः 11:00 बजे सम्पन्न की जायेगी।

2- पेड़ों की प्रजाति एवं संख्या का विवरण निम्नवत है:-


क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	संख्या
01	यूकेलिप्टिस (तृतीय श्रेणी)	5-10	04
	-do-	10-15	50
	-d- (चतुर्थ श्रेणी)	15-20	57
	-d- (चतुर्थ श्रेणी)	20-25	43
	-d-	25-30	27
	-d-	30-35	14
	-d- (चतुर्थ श्रेणी)	35-40	02
	योग-	-	197
02	सागौन हरा खड़ा = योग्य	10-20	16
	-do-	20-30	15
	योग-	-	31
03	तुन हरा खड़ा = योग्य	30-40	01
	योग-	-	01
04	आम हरा खड़ा (अयोग्य)	10-20	06
	-do-	20-30	09
	योग-	-	15
05	अमरुद हरा खड़ा (अयोग्य)	10-20	20
	-do-	20-30	03
	योग-	-	23
06	वाटल हरा खड़ा (अयोग्य)	10-20	25
	-do-	20-30	07
	-do-	30-40	01
	योग-	-	33
07	गोल्डमोहर (अयोग्य)	30-40	02
	-do-	40-50	01
	-do-	50-60	01
	योग-	-	04
	महायोग-	-	304

४

### 3-नीलामी की शर्तें:-

- 1- नीलामी से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अग्रिम धनराशि के रूप में ₹0 10,000/- (रूपया दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से “वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून” के नाम देय होगा।
- 2- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरवाला, देहरादून में बिन्दु संख्या-01 पर अंकित धरोहर राशि, स्थायी लेखा संख्या, पैन नम्बर की प्रतिलिपि एवं टिन नम्बर की मूलप्रति तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जिसमें वैधता की तिथि अंकित हो जमा करके नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी के समय पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में दिखाना होगा।
- 3- नीलामी के पश्चात् उच्चतम/सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण बोलीराशि कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 4- उच्चतम/सफल बोलीदाता/ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्च पर देहरादून वन प्रभाग से कटान अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 5- उच्चतम बोलीदाता/ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्च पर पेड़ों का कटान करना होगा तथा कटान के पश्चात् देहरादून वन प्रभाग से निकासी आदेश प्राप्त कर समस्त लकड़ी 24 घण्टे के अन्दर कार्यस्थल से ले जानी होगी। पेड़ों के कटान के समय किसी प्रकार की क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 6- नीलामी से संबंधित अन्य शर्तें यदि होगी तो नीलामी से पूर्व बता दी जायेगी।
- 7- नीलामी दिनांक 20/09/2013 को प्रातः 11:00 बजे की जायेगी।
- 8- नीलामी गठित समिति द्वारा सम्पन्न की जायेगी।
- 9- नीलामी बिना किसी कारण बताये मा0 कुलपति/कुल सचिव द्वारा स्थगित/निरस्त की जा सकती है।
- 10- विवाद की दशा में मा0 कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

8

  
कुलसचिव  
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय